

①

BA-part-III

Sub - Pol. Science.

Paper - VIII (Special paper)

Group-A - International Law and Organisation.

Topic :- "International Law as Law."

Q.

Dr. Phomraj Jha.
Assistant Professor
(Guest faculty/part time)
L.S. College, Muz.
Mob. 8210688019.

(International Law is the dominating point of the Jurisprudence)

* ग्रोतियस (Grotius) को अन्तर्राष्ट्रीय विधि का जनक कहा जाता है। Father of International Law - Grotius

आधुनिक अन्तर्राष्ट्रीय विधि

के विकास के प्रांशिक चरण से लेकर अब तक इस विषय पर विवाद रहा है कि अन्तर्राष्ट्रीय विधि वास्तव में विधि है या नैतिकता से सम्बन्धित नियमों का संग्रह मात्र। यह विवाद 200 (बीसवीं) सदी के प्रारंभ तक उन्नत रूप धारण किये हुए था। पन्द्रह पिछले कुछ दशकों में इस विवाद की उन्नता एवं प्रवृत्ति में भारी कमी आई है। मात्र ही सामान्य रूप में यह स्वीकार किया जाने लगा है कि अन्तर्राष्ट्रीय विधि वास्तविक अर्थ में विधि है। परन्तु यह कहना उचित प्रतीत नहीं होगा कि आज भी इस विवाद का पूर्णतः अन्त हो गया है अर्थात् यह निर्विवाद विषय है।

अन्तर्राष्ट्रीय विधि के प्रकृति के

सम्बन्ध में दो परस्पर विरोधी विचारधाराओं के कारण ऐसा विवाद देखने को मिलता है। विधि की विश्लेषणात्मक विचारधारा के प्रतिपादक एवं समर्थक अन्तर्राष्ट्रीय विधि के कृत्री स्वरूप को मानने से झकड़ कहे हैं।

(2) ऐसे लेखकों में होब्स (Hobbes), पफेंडॉफ (Pufendorf), बेन्थम (Bentham), ऑस्टिन (Austin) तथा होलैंड (Holland) आदि के नाम विशेष तौर पर उल्लेखनीय हैं। इसी विचार धारा अन्तर्राष्ट्रीय विधि के वैधानिक स्वरूप पर बल देती हैं।

ऑस्टिन, होलैंड तथा उनके समकालीन अन्य विद्वानों के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय विधि, विधि नहीं है क्योंकि इसमें विधि के तीन आवश्यक तत्व नहीं पाये जाते हैं। सर्वप्रथम अन्तर्राष्ट्रीय विधि का निर्माण किसी समुदाय राजनीतिक शक्ति द्वारा नहीं होता। दूसरे अन्तर्राष्ट्रीय कानून के पीछे समुदाय शक्ति की वास्तविक शक्ति नहीं होती। और तीसरे अन्तर्राष्ट्रीय विधि के ^{निर्माण का} उद्देश्य करने वाले को हानि देने की कोई प्रभावकारी व्यवस्था नहीं पायी जाती है। अतः ऐसी कल शक्ति विधि को नैतिकता की संज्ञा ही जानी चाहिए न कि विधि की। होलैंड (Holland) ने यह मत व्यक्त किया है कि अन्तर्राष्ट्रीय विधि अब तक विकास के अन्त-चरण में पहुँची है उसे देखते हुए यह कहा जा सकता है कि अन्तर्राष्ट्रीय विधि अभी भी विधिशास्त्र के क्षेत्र में बाहर है। इसी को पफेंडॉफ देखते हुए उन्होंने अपना मत व्यक्त किया है कि —

“International Law is the vanishing point of jurisprudence.” (Holland)

अन्तर्राष्ट्रीय विधि के प्रति जो दृष्टि बोग है, उसकी पुष्टि अन्तर्राष्ट्रीय विधि के सम्बन्ध में राज्यों के व्यवहार से भी होती रहती है। राष्ट्र संघ की असफलता और अन्तिम रूप से उसका अन्त इस बात का प्रमाण है कि राज्यों के पारस्परिक सम्बन्धों का आचार शक्ति राजनीति है न कि अन्तर्राष्ट्रीय विधि।